उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल

रिट पिटीशन (एमएस) नं. 696/2019

मोहन जी. मनचंदानी याचिकाकर्ता।

बनाम

कयूम
और अन्य प्रतिवादीओं।

उपस्थितः
श्री मोहन जी. मनचंदानी, याचिकाकर्ता स्वयं, व्यक्तिक रूप से से,
श्री सुयश पंत, राज्य के विद्वान स्थायी वकील।

सुनवाई और निर्णय की तिथिः 23 मार्च, 2022

माननीय **संजय कुमार मिश्रा, एसीजे।**

1. इस रिट याचिका को दायर करके, याचिकाकर्ता ने स्वयं, व्यक्तिक रूप से से, राजस्व बोर्ड, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा 29.08.2018 को पारित किए गए आक्षेपित आदेश को रद्द करते हुए सरशियोरेराई प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।

2. मामले के तथ्य यह हैं कि 11.02.1988 को याचिककर्ता ने श्रीमती के कानूनी उत्तराधिकारियों से एक भूमि खरीदी। चंदा देवी, जो अनुसूचित जाति से संबंधित नहीं है और जिन्हें ऐसी भूमि का भूमिहार दर्ज किया गया था और भूमि को उत्तर प्रदेश जमींदारी और उत्सादन अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के तहत सभी बाधाओं, बाधाओं और प्रतिबंधों से मुक्त बताया गया था (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए यूपीजेडए और एलआर अधिनियम के रूप में संदर्भित)। वर्ष 1993 में राजस्व अधिकारियों द्वारा एक सर्वेक्षण बंदोबस्त शुरू किया गया था। राजस्व अधिकारियों ने श्रेणी 9 प्रविष्टि में सुधार के लिए याचिकाकर्ता सहित सभी संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किए। याचिकाकर्ता ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। सर्वेक्षण बंदोबस्त सहायक अभिलेख अधिकारी, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए ''ए.आर.ओ.'' के रूप में संदर्भित) द्वारा किया गया था। प्रतिवादी के पिता नं. 1 i.e. स्वर्गीय हबीब भी कार्यवाही में भाग लिया। पक्षकारों को सुनने के बाद, विद्वान ए.आर.ओ. ने दिनांक 13.12.1993 के आदेश द्वारा श्रेणी 9 प्रविष्टि को हटा दिया और प्रतिवादी सं. 1 पिता प्रतिवादी नं. 1 ने आज तक उस आदेश को चुनौती नहीं दी है और इसलिए, याचिकाकर्ता संबंधित है कि ए. आर.ओ. द्वारा पारित आदेश ने अपनी अंतिमता प्राप्त कर ली है और भूमि पर याचिकाकर्ता का अधिकार, अधिकार और हित परिसीमा अधिनियम की खंड 9,58 और 59 के संचालन से पूर्ण हो

गया है। भूमि पर याचिकाकर्ता की अनन्य स्थिति की पुष्टि कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 04.06.2009 के सीमांकन आदेश और दिनांक 12.06.2015 के मीनारबंदी के आदेश द्वारा की गई थी।

फिर, प्रत्यर्थी ने एक राजस्व मुकदमा सं. 24/2006–07 यूपीजेडए और एलआर अधिनियम की खंड 229 के तहत, जिसे सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/एसडीएम देहरादून द्वारा दिनांक 21.05.2012 के आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि प्रतिवादी ने दिनांक 13.12.1993 के आदेश को कभी चुनौती नहीं दी। प्रतिवादी द्वारा अपील सं. पौड़ी में गढ़वाल क्षेत्र के आयुक्त के समक्ष यूपीजेडए और एलआर अधिनियम की खंड 331 के तहत 2013 की खंड 11 और 14। आयुक्त ने प्रतिवादी द्वारा दिनांक 06.06.2014 के आदेश के माध्यम से दायर अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रतिवादी ने दिनांक 13.12.1993 के आदेश को कभी चुनौती नहीं दी। अपील न्यायालय ने भी आधारों में कुछ विरोधाभास पाए।

मामला राजस्व बोर्ड, देहरादून को ले जाया गया। 25.03.2015 को राजस्व बोर्ड ने भी इसी आधार पर दूसरी अपील खारिज कर दी। दिनांक 12.06.2015 को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 02.05.2015 के अनुपालन में 'मीनारभंडी' की आदेशिका पूरी की गई थी। विद्वत राजस्व बोर्ड द्वारा पारित आदेश पर प्रतिवादी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका सं. 2015 का 1450, जो 27.11.2017 को तय किया गया था। द्वितीय अपील न्यायालय का आदेश इसे रद्द दिया गया और राजस्व बोर्ड को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के तहत आवेदन पर विचार करने और नए मामले पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। याचिका मुख्य रूप से इस आधार पर दायर की गई थी कि संहिता के आदेश 41 नियम 27 के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन पर दूसरे अपील न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था। वास्तव में, इस न्यायालय के विद्वत एकल न्यायाधीश ने निर्णय के पृष्ठ 3 पर दूसरे पैराग्राफ में यह मत व्यक्त किया कि यह न्यायालय, उस स्तर पर, स्वयं यह बहुत स्पष्ट करता है कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क की दृढ़ता को आधार (ए) तक सीमित रखते हुए, दूसरे अपील न्यायालय के समक्ष उत्तेजित इस आधार के संबंध में अपने परिणाम को सीमित कर दिया। जिन परिणाम की निचली अदालत के साथ–साथ प्रथम अपील न्यायालय द्वारा प्रमाणित गई है, उन्हें बिल्कुल भी बाधित नहीं किया जा रहा है। फिर, उन्होंने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"मामले के उस दृष्टिकोण में, जहां तक यह दूसरे अपील न्यायालय से संबंधित है, आक्षेपित आदेश को अभिखंडित कर दिया जाता है। ऊपर दिए गए किसी भी निष्कर्ष या अवलोकन से प्रभावित हुए बिना, आदेश 41 नियम 27 के तहत आवेदन पर विचार करने के बाद, दूसरी अपील पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को दूसरे अपील न्यायालय को वापस भेज दिया जाता है। चूंकि, दूसरी अपील की अधिकांश कार्यवाही समाप्त हो गई है, इसलिए दूसरी अपीलीय अपील पर आज से तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाएगा।

उपरोक्त अवलोकन के बशर्ते, रिट याचिका आंशिक रूप से सफल होती है। राजस्व

बोर्ड द्वारा पारित दिनांक 25.03.2015 के निर्णय को अभिखंडित कर दिया गया है। सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के तहत आवेदन पर विचार करने के आलोक में दूसरी अपील पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले का राजस्व बोर्ड को वापस भेज दिया गया है।

3. इस प्रकार, रिमांड के बाद राजस्व बोर्ड ने मामले को नए सिरे से लिया और अपने द्वारा बनाए गए तीन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए खुद को संबोधित किया। राजस्व बोर्ड द्वारा तैयार किया गया और उसके द्वारा स्थानीय भाषा में विवाद्यक का निर्धारण किया गया पहला अंक इस प्रकार है:

प्रश्न संख्या– 1: क्या आलोच्य वाद में विवाद्यकों का स्थिरीकरण आवश्यक था एवं बिना विवाद्यक स्थिर किये वाद का निस्तारण हो सकता था ?

Operative portion of issue no. 1 decided by the Board of Revenue:

तद्नुसार विधि का यह सारवान प्रश्न इस आशय से विनिश्चित होता है कि वाद पोषणीयता का बिन्दु प्रारम्भिक रूप से बिना विवाद्यक स्थिरीकृत किये निस्तारित किया जा सकता है परन्तु वाद के कालबाधित होने के प्रश्न का निस्तारण प्रारम्भिक रूप से विवाद्यक स्थिरीकृत किये बिना नहीं हो सकता है।

Issue no. 2 and 3 framed by the Board of Revenue read as under:

प्रश्न संख्या– 2: क्या वर्ग–09 का इन्द्रराज निरस्त होने के कारण वाद पोषणीय नहीं हैं ? ''

प्रश्न संख्या– 3: क्या अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व आज्ञाप्ति विधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण एवं तात्विक अनियमितता से ग्रसित है ?

4. जहां तक बात है, निर्गम सं। 2 का संबंध है, राजस्व बोर्ड ने निर्णय लिया था कि एक बार श्रेणी 09 की आपत्ति को अस्वीकार कर दिया गया है, उसके बाद कोई विवाद नहीं उठाया जा सकता है। निर्णय लेते समय मुद्दा नं0 3, विद्वत राजस्व बोर्ड ने अभिनिर्धारित किया है कि जहां तक अनुसूची जाति के व्यक्ति की विवादित भूमि का प्रश्न है, कानून के विरूद्ध इसकी बिक्री और खरीद का संबंध है, सहायक कलेक्टर ने तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी है लेकिन सहायक कलेक्टर को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। यह रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं था। वास्तव में, इस तरह की जांच का परिणाम किसी को पता नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर विवादित भूमि अनुसूची जाति के व्यक्ति की थी और इसे अनुसूची जाति के व्यक्ति द्वारा गैर–अनुसूची जाति के व्यक्ति को बेचा गया था कानून के अपेक्षित अनुपालन के बिना, तब

ऐसी बिक्री को शून्य किया जा सकता है और उस कारण से एक नया परीक्षण आवश्यक है और तद्नुसार, अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी और मूल न्यायालय के साथ–साथ अपील न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द दिया गया था और मामले को पुनः विचारण के लिए सहायक कलेक्टर की अदालत में भेज दिया गया था।

5. याचिकाकर्ता, स्वयं, व्यक्तिक रूप से से, तर्क देगा कि द्वितीय अपील न्यायालय द्वारा पारित आदेश इस न्यायालय द्वारा डब्ल्यू0पी0एम0एस0 सं0 2015 का 1450 जिसके द्वारा मामले को केवल संहिता के आदेश 41 नियम 27 के अधीन दायर साक्ष्य पर विचार करने के लिए द्वितीय अपील न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया था। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि राजस्व बोर्ड द्वारा पारित पूरे निर्णय में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने इस अदालत द्वारा पारित आदेश को पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए मानले का फैसला किया।

6. दूसरी अपील न्यायालय ने अपील पर निर्णय लेते समय स्पष्ट रूप से डब्ल्यू0पी0एम0एस0 नं0 2015 का 1450। आदेश से परे जाने के परिणामस्वरूप अपील न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र का अनुचित प्रयोग किया गया है। सूर्य देव राय बनाम राम चंदर राय और अन्य **के मामले में (2003) 6 एससीसी 675**, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका और संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत रिट याचिका का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों के बीच बहुत पतली रेखा है। इस तरह के सम्मान को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राधे श्याम और एक अन्य बनाम छबी नाथ और अन्य (2015) की बड़ी पीठ में अनुमोदित किया गया है एससीसी 423। माननीय उच्चतम न्यायालय की वृहद पीठ ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आवेदन नागरिक द्वारा पारित आदेश के खिलाफ बनाए अनुरक्षणीय नहीं है एक दीवानी मुकदमा में न्यायालय ने सूर्य देव राय (उपर्युक्त) को खारिज कर दिया, लेकिन बाद के फैसले द्वारा भेदभाव के सिद्धांतों को मंजूरी दे दी गई है। इस मामले में, कहा जाता है कि आवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दायर किया गया था, लेकिन वास्तव में, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक आवेदन है और इस तरह, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के प्रावधानों को केवल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र की ज्यादतियों को ठीक करने के लिए उपयोग करना किया जा सकता है या प्रमाण पत्र की सरशियोरेराई जारी की जा सकती है, जिसके आदेश के खिलाफ सरशियोरेराई याचिका दायर की गई है। दूसरे शब्दों में, क्षेत्राधिकार की अधिकता स्थापित होने पर सर्टिओरारी की एक सरशियोरेराई जारी की जा सकती है। पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग केवल तभी किया जाएगा जब अधिकार क्षेत्र संबंधी त्रुटि प्रकट अन्याय का कारण बने। माननीय उच्चतम न्यायालय ने महाप्रबंधक विद्युत रेंगली जल विद्युत परियोजना, उड़ीसा बनाम गिरिधारी साहू और अन्य (2019) 10 एस0सी0सी0 695 के मामले में भी सर्टिओरारी के सरशियोरेराई के सिद्धांतों का सारांश दिया है।

7. एक नया मुद्दा उठाया गया है, जिसे किसी भी पक्ष द्वारा निचली अदालत या पहली अपील न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया था या चुनौती नहीं दी गई थी कि अनुसूची जाति के एक व्यक्ति ने यूपीजेडए और एलआर अधिनियम की खंड 157ए का उल्लंघन करते

हुए अपनी जमीन बेची है। वास्तव में, प्रतिवादी यह दावा करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा खरीदी गई भूमि अनुसूची जाति के व्यक्ति की थी। यह समझ में नहीं आता है कि ऐसा कोई मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया और निचली अदालतों द्वारा निर्णय लिया गया और मामले को फिर से सुनवाई के लिए विद्वान सहायक कलेक्टर को वापस भेज दिया गया। यह भी किसी का मामला नहीं है कि मूल कार्यकाल धारक अनुसूचित जाति श्रेणी का सदस्य था।

8. इसके अलावा प्रतिवादी इस मामले का विरोध नहीं कर रहे हैं और कोई भी यह तर्क देने के लिए आगे नहीं आया है कि विवादित भूमि वास्तव में एक अनुसूची जाति के व्यक्ति की है और इसकी बिक्री में है UPZA और LR अधिनियम की खंड 157A का उल्लंघन। मामले के उस दृष्टिकोण में, इस न्यायालय की राय है कि मामले को विशेष रूप एकपक्षीय तब विराम दिया जाना चाहिए जब दिनांक 13.12.1993 के विद्वत सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित आदेश ने अंतिमता प्राप्त कर ली है और प्रथमदृष्टया यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं है कि भूमि मूल रूप एकपक्षीय अनुसूचित जाति के व्यक्ति की है, जिसने एकपक्षीय यूपीजेडए और एलआर अधिनियम की खंड 157–ए का उल्लंघन करते हुए बेचा था। इस प्रकार, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के संदर्भ में, यह न्यायालय याचिका में योग्यता पाता है और उत्तरखण्ड सरकार के विरूद्ध और निजी प्रतिवादी के विरूद्ध इसकी अनुमति दी जाती है। राजस्व बोर्ड द्वारा आक्षेपित दिनांक 29.08.2018 के विवादित आदेश को निरस्त कर दिया गया है।

(संजय कुमार मिश्रा) कार्यवाहक
मुख्य न्यायाधीश।

एसकेएस